न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

दिनेश कुमार तनय स्व0 श्री लाखनलाल शुक्ला नि0-1692-III-14

निबासी ग्राम अनंतपुरा तहसील एवं जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

..........................**आवेदक**

वनाम

श्रीमति बैनीबाई पत्नि श्री रामकृष्ण यादव ,

सभी निबासी ग्राम अनंतपुरा , तहसील एवं जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

.... **अनावेदकगण**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से प्रार्थना है:–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 86/अ–12/2013–14 में पारित आलोच्य आ0 दि0 18/05/2014 से परिवेदित होकर कर रहा है जो समय सीमा में है तथा माननीय न्यायालय को निगरानी श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त बिवरण इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा ग्राम अनंतपुरा तहसील एवं जिला टीकमगढ़ में खसरा नं0 264/1/2ग में से 0.089 आरे भूमि जरिये वैनामा के दिनॉक 19/01/2022 को सुरेश चंद्र जैन नामक ब्यक्ति से कय की थी। जिसमें उसके द्वारा जो सीमायें लिखाई गई हैं वह गलत लिखाई गई हैं। अनावेदिका द्वारा अपने वैनामा में पश्चिम में वैनीबाई यादव एवं साधना नामदेव की जो भूमि बताई गई है वह गलत बताई गई है। उपरोक्त भूमि पर उन लोगों के मकान बने हुये हैं तथा जो उत्तर में गोवर्धन सोनी की तथा आवेदक लखनलाल की जो भूमि दिखाई गई है वह भी गलत बताई गई है। आवेदक का उपरोक्त भूमि पर 14 साल पुराना मकान बना हुआ है। इस प्रकार

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–1692–तीन/2014 जिला–टीकमगढ़

दिनेश कुमार विरूद्ध श्रीमती बैनीबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार टीकमगढ़, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 86/अ–12/2013–14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18–05–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04–11–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	